

बिहार सरकार
कृषि विभाग।

पत्र सं०-01/एल०ए०जी०-10/2014

/कृ० पटना, दिनांक

अप्रैल, 2015

आदेश

वित्त विभाग, बिहार, पटना के संकल्प, ज्ञापांक 3/एफ- 01- 29/ 13- 1789/ वि०, दिनांक 20.02.2014 में निहित आदेश के आलोक में सम्मिलित बिहार कृषि सेवा कोटि- 5 (पौ० सं०) के निम्नांकित पदाधिकारियों को उनके नाम के सामने अंकित अवधि एवं स्तंभ 4 में अंकित दिनों का उपाजित अवकाश स्वीकृत किया जाता है :-

क्र०	पदाधिकारी का नाम एवं पदनाम	अवधि	कुल दिन
01	02	03	04
01	श्री रवि रंजन केसरी, कनीय पौ० सं० पदाधिकारी, वैशाली संप्रति से०नि०, उप कृषि निदेशक (पौ०सं०), मगध प्रमंडल, गया	17.01.09 से 09.02.09	24 दिन
02	श्री सुनील कुमार अजय, निलंबित सहायक निदेशक (पौ०सं०), गया मुख्यालय संयुक्त निदेशक पौ० सं०, बिहार, पटना।	17.01.09 से 09.02.09	24 दिन
03	श्री प्रमोद कुमार, उप निदेशक (पौ०सं०) पटना प्रमंडल, पटना संप्रति तत्का० सहायक कृषि निदेशक कार्यालय उप कृषि निदेशक, गुण नियंत्रण, बिहार, पटना।	17.01.09 से 09.02.09	24 दिन

2. उक्त अवधि के छुट्टी वेतन भत्ते का भुगतान वेतन एवं भत्ते के मद में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।

3. जिन पदाधिकारियों का उक्त अवधि का असाधारण अवकाश स्वीकृत हुआ हो, उसे इस हद तक संशोधित समझा जाए।

ह०/-

(संजय प्रियदर्शी)

सरकार के उप सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक

/कृ० पटना, दिनांक

प्रतिलिपि :- प्रभारी पदाधिकारी (वै०दा०नि०को०) विभाग/ महालेखाकार, बिहार, पटना एवं संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

सरकार के उप सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक

/कृ० पटना, दिनांक

प्रतिलिपि :- सभी संबंधित पदाधिकारी/ संबंधित संयुक्त निदेश० (पौ०सं०), बिहार, पटना/ संबंधित जिला कृषि पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

सरकार के उप सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक

/कृ० पटना, दिनांक

प्रतिलिपि :- प्रधान सचिव, कृषि के आप्त सचिव/ संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

सरकार के उप सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।